म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर

https://mpcci.in

अर्थवार्ता

मासिक पत्रिका

- आरएनआई/एमपीएचआईएन/1997/6965
- डाक पंजीकृत सं. ग्वालियर / 40020263/2023–25
- वर्ष : 27, अंक : 05
- माह : नवम्बर 2024

NOVEMBER 2024

नवीन सदस्यों का स्वागत, व्यवसायिक व सामाजिक आर्थिक सुरक्षा में 'डाकघर' का योगदान विषय पर जानकारी, MPCCI डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉंचिंग सहित 'चेम्बर भवन' में स्थापित 'सोलर प्लांट' लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित

दिनांक 19 नवम्बर को 'चेम्बर भवन' में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में 25 नवीन सदस्यों का स्वागत कर, उन्हें **MPCCI** पिन एवं सदस्यता 'प्रमाण-पत्र' प्रदान किए गए। साथ ही, इस अवसर पर डाकघर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यवसायिक व सामाजिक आर्थिक सुरक्षा में 'डाकघर' का योगदान विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर डाकघर के प्रवर अधीक्षक, डाकघर, ग्वालियर-श्री ए. के. सिंह, उप अधीक्षक, डाकघर, ग्वालियर-श्री ओ. पी. चतुर्वेदी, पोस्ट मास्टर-श्री ब्रजेश शर्मा, विस्तार अधिकारी, डाक संभाग, ग्वालियर-श्री श्याम शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर **MPCCI** डिजिटल पेमेंट सिस्टम की लॉंचिंग भी की गई। इससे संस्था के सदस्यगण अब अपना वार्षिक सदस्यता शुल्क घर या संस्थान से ही आसानी से 'डिजिटल' माध्यम से जमा कर सकेंगे। साथ ही, संस्था द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दृष्टि से 'चेम्बर भवन' में स्थापित 30 केव्हीए 'सोलर प्लांट' का लोकार्पण भी किया गया।

कार्यक्रम में प्रवर अधीक्षक, पोस्ट ऑफिस-श्री अमित कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहाकि डाकघर देशभर में विगत् 150 वर्ष से अपनी सेवाएँ दे रहा है। देश की जनसंख्या जब 20 करोड़ थी, उस समय से आज जबकि यह 140 करोड़ वाला देश हो गया है, तब भी डाकघर अपनी सेवाएँ निरंतर प्रदान कर रहा है। आज देशभर में विभिन्न बैंकों की 39 हजार शाखाएँ हैं, जबकि डाकघर 1 लाख 50 हजार शाखाओं के साथ शहर से लेकर ग्रामीण तक तथा जंगल से लेकर जल तक अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। आपने कहाकि हमारे इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक से हम आपके किसी भी बैंक से 10 हजार रुपये तक की राशि निकालकर, आपके घर तक पहुँचा सकते हैं। कोरोना के समय हमारी इस सेवा का देशवासियों ने भरपूर उपयोग किया था। डाकघर ने स्वयं को अपग्रेड किया है और आज हम नेटबैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, डीबीटी सभी प्रकार की आधुनिकतम बैंकिंग सुविधाएँ देश में उपलब्ध करा रहे हैं। आपने बताया कि डाकघर वर्ष-1884 से बीमा योजना का संचालन कर रहा है। डाकघर की पॉलिसी पर लिखा होता है, भारत के राष्ट्रपति की ओर से जारी, तब आप बीमा की रकम प्रदान करने में हमारी गारंटी की महत्वता को समझ सकते हैं। हम एक्सीडेंटल बीमा कवर बहुत कम प्रीमियम रु. 750 में 10 लाख का बीमा कवर प्रदान कर रहे हैं। इसमें चिकित्सा सुविधा एवं दुर्घटना में घायल होने के रिस्क को भी कवर किया गया है। हम आपके घर से डाक कलेक्ट करने से लेकर, घर बैठे पेपरलेस एकाउंट खोलने तक की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ग्वालियर का डाकघर म. प्र. में सबसे अधिक पासपोर्ट तैयार करने वाला 'पोस्ट ऑफिस' है।

इस अवसर पर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने स्वागत् उदबोधन में कहाकि चिट्ठी से लेकर बैंकिंग एवं पासपोर्ट तक की सुविधाएँ 'डाकघर' द्वारा प्रदान कर व्यवसायिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देशभर में लोगों को प्रदान की जा रही है। आपने कहाकि 'चेम्बर भवन' में सोलर प्लांट लगाया गया है। चेम्बर ऑफ कॉमर्स की यह पहल शहरवासियों को ग्रीन ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। चेम्बर ने

'सोलर फेयर' लगाकर शहरवासियों को इसके लिए प्रेरित किया है और हमारा अगला कदम वॉटर हार्वेस्टिंग की जागरुकता का होगा। विगत 4 वर्ष से चेम्बर सदस्यों के लिए ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर कार्य किया जा रहा था, जिसकी आज लाँचिंग की जा रही है। हमारी टीम का यह नवाचार है कि नवीन सदस्यों को संस्था में आमंत्रित कर, उन्हें सदस्यता 'प्रमाण-पत्र' एवं MPCCI पिन का वितरण करें, ताकि उनकी संस्था में आने की हिचक दूर हो और वे निरंतर संस्था में आने के लिए प्रेरित हों।

कार्यक्रम में उप अधीक्षक, डाकघर, ग्वालियर-श्री ओ. पी. चतुर्वेदी द्वारा 'डाकघर' की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर पोस्ट मास्टर-श्री ब्रजेश शर्मा एवं विस्तार अधिकारी, डाक संभाग, ग्वालियर-श्री श्याम शर्मा उपस्थित थे।

पदाधिकारियों द्वारा फीता काटकर 'सोलर प्लांट' का लोकार्पण

इस अवसर पर मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल ने बताया कि 'चेम्बर भवन' में वर्ष भर में औसतन 56 हजार यूनिट बिजली की खपत होती है और लगभग 7 लाख रुपये का बिजली बिल आता था। हमारे द्वारा 30 किलोवॉट का 'सोलर प्लांट' लगाया गया है, जो कि वर्षभर में 40 हजार यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। आपने बताया कि यह प्लांट 'चेम्बर भवन' की 75% ऊर्जा उपयोग को यह पूरा करेगा। इससे बिजली का बिल घटकर रु. 4 लाख रह जाएगा और तीन वर्ष में इसकी लागत निकल आएगी। आगामी 30 वर्ष तक यह प्लांट 40 हजार यूनिट बिजली उत्पादित करेगा।

MPCCI 'डिजीटल पेमेंट सिस्टम' लाँच

इस अवसर पर कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल ने बताया कि संस्था द्वारा सदस्यों के लिए सहज एवं सरल डिजीटल पेमेंट सिस्टम बनाया गया है। इससे सदस्यगण संस्था का सदस्यता शुल्क अपने संस्थान अथवा घर से ही जमा कर सकेंगे। आपने पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन द्वारा स्क्रीन पर सदस्यों को सदस्यता शुल्क जमा करने की आसान विधि से अवगत कराया। इस अवसर पर श्री मनोज अग्रवाल द्वारा डिजीटल पेमेंट सिस्टम के तहत अपना सदस्यता शुल्क जमा किया गया। इसके साथ ही, श्री रवि कुमार गर्ग, श्री मनोज सरावगी, श्री संदीप आदि के द्वारा भी सदन में डिजीटल सिस्टम के माध्यम से अपना सदस्यता शुल्क जमा किया गया।

नवीन सदस्यों को ''सदस्यता प्रमाण-पत्र'' एवं 'MPCCI पिन का वितरण'

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 23 अक्टूबर को आयोजित बैठक में बनाए गए, नवीन 25 सदस्यों को पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया तथा उन्हें सदस्यता प्रमाण-पत्र एवं MPCCI पिन का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के अंत में आभार, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया।

सदस्य उपलब्धि...

डॉ. श्रीमती ज्योति बिंदल, *Fellow Bonoris Causa* से सम्मानित

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists द्वारा इस संस्था की सदस्या-डॉ. श्रीमती ज्योति बिंदल को महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रति समर्पण व उन्हें आगे बढ़ाने के लिए *Fellow Bonoris Causa* से सम्मानित किया गया है। किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के करियर में यह एक बड़ा ''मील का पत्थर'' है। म. प्र. में यह पहला और देश में बहुत कम मामलों में ऐसा हुआ है।

पदाधिकारियों ने इस उपलब्धि पर डॉ. ज्योति बिंदल को हार्दिक पधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

CGST शिकायत निवारण समिति, म. प्र. की बैठक भोपाल में 22 नवम्बर को हुई सम्पन्न

बैठक में डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने शामिल होकर, समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए सुझाव

CGST मध्यप्रदेश की शिकायत निवारण समिति की प्रथम बैठक दिनांक 22 नवम्बर,24 को मुख्य आयुक्त सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, भोपाल जोन में आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल जो कि उक्त समिति के सदस्य भी हैं, शामिल हुए और आपने ग्वालियर में जीएसटी कमिशनरेट स्थापित किए जाने सहित जीएसटी के सभी कार्यालय ग्वालियर में एक ही नवीन परिसर में स्थापित किए जाने की माँग की।

बैठक में आपने कहाकि ग्वालियर में अभी लगभग 70 हजार टेक्सपेयर हैं। भविष्य में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण को देखते हुए यह आंकड़ा 01 लाख पार करने वाला है। वहीं ग्वालियर में एसजीएसटी, सीजीएसटी और ऑडिट के तीन–तीन ऑफिस हैं, जो किराए के भवन में चलकर करोड़ों रुपये वर्ष का किराया दे रहे हैं और एसजीएसटी का भवन शहर के सबसे महँगा एरिया सिटी सेंटर में रिक्त पड़ा हुआ है। वहीं 22 एकड़ जगह जेसी मिल एरिया में जीएसटी को वापिस मिल गई है, तब ऐसी अवस्था में एक ही जगह जीएसटी परिसर बनाकर सभी कार्यालय बनाए जा सकते हैं।

डॉ. अग्रवाल ने कहाकि जीएसटी कमीशनरेट बनने का प्रति 10 वर्ष बाद रिस्ट्रेक्चर होता है, जो हाल ही में होना हैं। इसलिए यदि यह समिति इसकी अनुशंसा करेगी, तो ग्वालियर इसमें शामिल हो सकेगा। इस पर समिति (जीएसटी शिकायत निवारण कमेटी, म. प्र.) के अध्यक्ष–श्री सी. पी. गोयल ने कहाकि हम आपकी बात से सहमत हैं। इसे हम पुनः सरकार के पास अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।

ज्ञात रहे अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क व सी.जी.एस.टी.,भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में सीजीएसटी शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाकर, इस समिति में अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल को सदस्य मनोनीत किया गया है।

बैठक में डॉ. अग्रवाल द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए :–

- सेक्शन 128ए में आ रहीं परेशानियाँ।
- जीएसटी डिस्काउंट/इंसेंटिव।
- डीजीएआरएम सेल द्वारा एकत्रित की जा रही जानकारियों को अधिकारियों को जाँचा जाए, ताकि करदाताओं को अनावश्यक नोटिस का सामना नहीं करना पड़े।
- जीएसटी ऑडिट आबंटन।
- शोकॉज नोटिस।
- ई–वे बिल।
- यूटिलाइजेशन सिक्रेंस ऑफ आईटीसी।
- जनवरी,2025 जीएसटीआर–3बी रिटर्न रिस्ट्रेक्टेड मोड।

जीएसटी शिकायत निवारण कमेटी अध्यक्ष–श्री सी. पी. गोयल द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यानपूर्वक सुनकर, आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

जीएसटी माफी योजना एवं जीएसटी कानून के नवीन प्रावधानों पर कार्यशाला आयोजित

MPCCI एवं ICAI ग्वालियर ब्राँच के संयुक्त तत्वावधान में दि. 23 नवम्बर को जीएसटी माफी योजना एवं जीएसटी कानून के नवीन प्रावधानों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता, सीए विमल जैन, नई दिल्ली थे। कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं आईसीएआई मोटो साँग के साथ किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता, सीए विमल जैन ने उद्बोधन देते हुए कहाकि जीएसटी में शॉकोज नोटिस करदाताओं को तब मिलता है, जब डिपार्टमेंट यह आरोप लगाता है कि आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। आपने पहले टैक्स जमा नहीं किया था या शॉर्ट जमा किया था अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल कर लिया या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत उपयोग कर लिया है। दिनांक 01 नवम्बर 2024 से एमनेस्टी स्कीम लागू हुई है, जिसमें आपको केवल कर राशि का भुगतान करना है। इसमें आपको ब्याज और पेनल्टी नहीं देनी है। इसमें सेक्शन–73 के तहत नॉन फ्रॉड केस का कोई नोटिस आया है और इसका कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है या पास हो गया है और आपने अपील की है या अपील भी खारिज हो गई है, तो भी आपको केवल टैक्स की डिमांड राशि ही भुगतान करना है। इसमें तीन फायनेंशियल ईयर को कवर किया गया है, जिसमें वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 हैं। इसमें दो कैटेगरी और कवर की गईं हैं। यदि डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 के तहत फ्रॉड केस में नोटिस दिया है, तो अपीलेट अथॉरिटी ने यह कह दिया है कि यह फ्रॉड नहीं है, तो आपको ऑर्डर दिनांक से 6 माह में केवल टैक्स राशि ही जमा करना है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने अपील आपके फेवर में होने पर आगे अपील की है, तब भी आपको ऑर्डर डेट से 3 माह में केवल राशि ही जमा करना है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक के लिए ही है। आपने कहा कि जीएसटी में डिलेड पेमेंट ब्याज की दर 18% है। सरकार द्वारा बैंक ब्याज दर को अफॉर्डेबल की बात की जा रही है, लेकिन जीएसटी में ब्याज की दर को घटाए जाने की जरूरत है। आपने बताया कि डायरेक्ट टैक्स में 12% की दर से लिया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में 18% ब्याज दर ली जा रही है। यह एमएसएमई के लिए बहुत परेशानी वाली बात है। आपने उदाहरण देकर बताया कि एक करदाता ने कोविड काल में मार्च–2020 में दुकान बंद होने व पैसे न होने की वजह से 3बी रिटर्न नहीं भरा। अगर क्रेडिट लेनी है, तो इस व्यापारी को वर्ष 2019–20 का 3बी रिटर्न अक्टूबर 2020 तक भरना था। इसने 27 नवम्बर 2020 को ब्याज और डिलेड पेमेंट फीस के साथ रिटर्न 27 नवम्बर 2020 में भरा। डिपार्टमेंट ने टाइम लिमिट निकलने के बाद भरने पर क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन ब्याज और डिलेड पेमेंट लिया। यह विसंगति है, इसे सरकार को दूर करना चाहिए। इसी प्रकार आपने सरल भाषा में जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से समझाते हुए, उपस्थितजनों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

कार्यशाला के प्रारम्भ में स्वागत् उद्बोधन में अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहाकि सीए विमल जैन जी हमारे बीच इससे पूर्व दि. 14 नवम्बर,2021 को आए थे। आपको पुनः आने में तीन वर्ष लग गए हैं। हम चाहेंगे कि आप प्रत्येक वर्ष हमारे बीच पधारें, ताकि हम जीएसटी प्रणाली को सरल तरीके से समझ सकें क्योंकि यह कर प्रणाली आसानी से समझ में नहीं आती है। ई–वे बिल के कारण व्यापारी बहुत परेशान हैं क्योंकि छोटी सी गलती पर भी गाड़ी को रोक लिया जाता है। व्यापारियों की यह पीड़ा है। आज इस कार्यशाला में जीएसटी की जटिलताओं को हम सरल तरीके से समझेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।

इस अवसर पर कार्यशाला की प्रस्तावना, दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ग्वालियर ब्राँच के चेयरमैन, सीए अजीत बंसल ने रखते हुए कहा कि एमनेस्टी स्कीम इन जीएसटी को समझने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह स्कीम 1 नवम्बर 2024 से लागू की गई है। इस कार्यशाला का फायदा अधिक से अधिक टैक्सपेयर व्यापारी भाईयों को मिले, यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है।

कार्यशाला का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी की जो माफी योजना है, उसके प्रावधानों को आसान भाषा में आज हम समझेंगे और यह जानकारी हमारे व्यापार में काम आएगी।

कार्यशाला के अंत में मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल, आईसीएआई के सचिव–सीए राहुल मित्तल, कोषाध्यक्ष–सीए निधि अग्रवाल सहित काफी संख्या में कार्यकारिणी सदस्य व सदस्य तथा सीए उपस्थित थे।

कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक 29 नवम्बर,24 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :–

* ''खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम'' के तहत गठित होने वाली जिला स्तरीय सलाहकार समिति में संस्था की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्यकारिणी सदस्य–श्री दिलीप अग्रवाल जी को मनोनीत किए जाने का निर्णय लिया गया।
* पदाधिकारियों द्वारा 'दीपावली मिलन समारोह' के आयोजन की जानकारी से सदन को अवगत कराया गया।

नवम्बर 2024 के महत्वपूर्ण प्रयास...

* केन्द्रीय वित्तमंत्री, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर में 'सिडबी' की ब्रांच खोले जाने की माँग की गई।
* चेयरमैन, भारतीय रेलवे बोर्ड को पत्र प्रेषित कर, 'बिड़ला नगर' रेलवे स्टेशन को सर्वसुविधायुक्त (आदर्श स्टेशन) बनाए जाने की माँग की गई।
* चेयरमैन, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली एवं केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री–माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर में जीएसटी कमिश्नरेट की स्थापना किए जाने की पुनः माँग की गई है।
* प्रबंध संचालक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., भोपाल को पत्र प्रेषित कर, सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को केवायसी कराए जाने संबंधी जारी किए गए आदेश को संशोधित किए जाने की माँग की गई।
* चीफ कमिश्नर, सीजीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, भोपाल जोन को प्रथम जीआरसी बैठक हेतु सुझाव प्रेषित किए गए।
* एस. पी., ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, महाराज बाड़ा सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर खुलेआम शराब का सेवन किए जाने को सख्ती के साथ रोके जाने की माँग की गई।
* आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, चेतकपुरी–माधव नगर गेट तक के मार्ग पर जहाँ तक पाइप लाइन डल चुकी है, उतने क्षेत्र की सड़क को मोटेरेबल किए जाने की माँग की गई।
* मुख्यमंत्री–माननीय डॉ. मोहन यादव एवं केन्द्रीय संचार मंत्री–माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला, ग्वालियर में आरटीओ शुल्क में 50% की छूट दिए जाने संबंधी आदेश शीघ्र जारी किए जाने की माँग की गई।
* आयुक्त, ग्वालियर संभाग एवं जिलाधीश, ग्वालियर सहित आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, 01 हजार वर्गफीट एवं उससे अधिक की दुकान/गोदाम/गैर आवासीय क्षेत्र पर उचित दर से 'गारबेज शुल्क' लिए जाने की माँग की गई।
* केन्द्रीय रेलमंत्री–माननीय श्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय संचार मंत्री–श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं सांसद–माननीय श्री भारत सिंह कुशवाह को पत्र प्रेषित कर, आगरा केंट–उदयपुर सिटी के मध्य सप्ताह में 03 दिन संचालित हो रही 'वंदेभारत एक्सप्रेस' (ट्रेन नं. 20982/20981) को ग्वालियर से संचालित किए जाने की माँग की गई।

http://www.mpcci.in
eअर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

FICCI की 97वीं ''वार्षिक साधारण सभा'' में चेम्बर का प्रतिनिधि मण्डल हुआ शामिल

नई दिल्ली में दिनांक 21 नवम्बर को आयोजित फिक्की की 97वीं वार्षिक साधारण सभा में चेम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मण्डल शामिल हुआ। इस प्रतिनिधि मण्डल में उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य–श्रीमती अलका श्रीवास्तव, श्रीमती अंजली बत्रा, सर्वश्री जितेन्द्र बंसल, राधामोहन गुप्ता, धीरज गुप्ता, मुकेश गोयल, विकास अग्रवाल, विवेक बंसल, संजय गुप्ता एवं अनिल दुबे शामिल थे।

फिक्की की वार्षिक साधारण सभा की बैठक से पूर्व मेम्बर बॉडी की आयोजित बैठक में मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल द्वारा प्रदेश स्तरीय 04 प्रमुख बिन्दुओं पर फिक्की का ध्यान आकर्षित किया गया, ताकि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनिस संभव हो सके तथा तत्संबंध में फिक्की द्वारा आवश्यक पहल किए जाने की माँग की गई।

1. **म. प्र. में स्टॉम्प ड्यूटी की अधिक दरें :** म. प्र. में पंजीयन शुल्क देश में सबसे अधिक होने से नवीन निवेश प्रभावित हो रहा है, जिसका प्रभाव कारोबार पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। इसलिए स्टॉम्प ड्यूटी पड़ौसी राज्यों की भांति की जाना आवश्यक है। इससे प्रदेश में नवीन निवेश आकर्षित होगा। साथ ही, उद्यमियों के साथ–साथ आम नागरिक भी इससे अवश्य ही लाभांवित होंगे।
2. **पेट्रोल व डीजल पर 'वेट' की दर अत्याधिक :** म. प्र. में पेट्रोल एवं डीजल पर 'वेट' की दर काफी अधिक होने के कारण इसका सीधा प्रभाव माल भाड़ा पर पड़ रहा है, जिससे वस्तुओं की कीमतें अन्य राज्यों से अधिक होने से इसका सीधा असर व्यापार व आम जनता पर पड़ रहा है। इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों पर मध्यप्रदेश में वेट की दर को पड़ौसी राज्यों की भांति किए जाने की आवश्यकता है।
3. **एमएसएमई प्रोत्साहन योजना :** इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सब्सिडी की राशि का भुगतान संबंधित इकाईयों को समय पर नहीं किए जाने से प्रदेश की कई इकाईयों के सामने एनपीए होने का खतरा मंडरा रहा है।
4. **सिंगल विण्डो सिस्टम :** मध्यप्रदेश में प्रभावी 'सिंगल विण्डो' सिस्टम लागू नहीं होने से औद्योगिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि गुजरात मॉडल पर 'सिंगल विण्डो' सिस्टम लागू किया जाए।

प्रेषक : स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक, दीपक अग्रवाल द्वारा ग्राफिक्स वर्ल्ड, ग्वालियर से डिजाइन तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक–दीपक अग्रवाल, दूरभाष–2371691,2632916,2382917